रजिस्ट्री सं० डी०(डी)—73

REGISTERED NO. D-(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 48] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 26, 1977 (अगहायण 5, 1899)

No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 26, 1977 (AGRAHAYANA 5, 1899)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . .	637
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1613
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1275
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . .	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट . .	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . .	3265
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	4031
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	543
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	5315
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	951
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	185
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . . .	2225
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	189

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	637
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1613
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1275
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations.	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	3265
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	4031
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	543
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	5315
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	951
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	185
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2225
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	189

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 नवम्बर 1977

सं० 83-प्रेज/77-शुद्धि-पत्र—भारत के राजपत्र के भाग I, खण्ड I में 26 मार्च 1977 के पृष्ठ 268 पर प्रकाशित इस सचिवालय की 18 मार्च 1977 की अधिसूचना संख्या 25-प्रेज/77 में "दरोगा सिंह रावत" का नाम जहाँ-जहाँ पर भी है "दरबान सिंह रावत" पढ़े।

के० सी० मादप्पा, राष्ट्रपति के सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 15 नवम्बर 1977

संकल्प

सं० VI-24021/36/77-जी० पी० ए०-I—भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861 के अधिनियम और 1902 के द्वितीय पुलिस आयोग के गठन के बाद खासतौर पर स्वतंत्रता के पिछले तीस वर्षों में देश में व्यापक परिवर्तन हुए है। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक राज्यों ने अपने-अपने राज्यों में पुलिस की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए पुलिस आयोग नियुक्त किए हैं, फिर भी इस बात के बावजूद की देश की राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में आमूल परिवर्तन हुए हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस प्रणाली की कोई व्यापक समीक्षा नहीं हुई है। कानून लागू करने वाली एजेंसी और संविधान में दिए गए नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने वाली संस्था दोनों के रूप में पुलिस की भूमिका और कार्य निष्पादन की जांच नए सिरे से करनी आवश्यक है। इसलिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय पुलिस आयोग नियुक्त करने का निर्णय किया है। जिसमें निम्नलिखित होंगे —

1	श्री धर्मवीर (सेवानिवृत्त राज्यपाल)	अध्यक्ष
2	श्री एन० के० रेड्डी (सेवानिवृत्त न्यायाधीश मद्रास उच्च न्यायालय)	सदस्य
3	श्री के० एफ० रुस्तमजी, (भू० पू० पुलिस महानिरीक्षक, मध्य प्रदेश एवं भू० पू० विशेष सचिव, गृह मंत्रालय)	सदस्य
4	श्री एन० एस० सक्सेना, (भू० पू० पुलिस महानिरीक्षक, उ० प्र० एवं भू० पू० महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और इस समय सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग)	सदस्य
5	प्रो० एम० एस० गोरे, प्रोफेसर, टाटा समाज विज्ञान संस्थान, बम्बई।	सदस्य
6	श्री सी० वी० नरसिम्हन, निदेशक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो।	आयोग का पूर्णकालिक सदस्य सचिव [अपने वर्तमान पद से मुक्त होने पर]

राष्ट्रीय पुलिस आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे —

(1) अपराध निवारण और नियंत्रण के विशेष संदर्भ में पुलिस की भूमिका, कर्तव्यों, शक्तियों और उत्तरदायित्वों को पुनः स्पष्ट करना तथा विधि व्यवस्था बनाए रखना।

(2) मजिस्ट्रेटी पर्यवेक्षण तरीके के समेत मौजूदा पुलिस-प्रणाली के सिद्धांतों के विकास की जांच करना, इस प्रणाली के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना, इसकी बुनियादी कमजोरियों अथवा कमियों का पता लगाना, तथा इस प्रणाली और इसे अधिशासित करने वाले मूलभूत कानूनों में उपयुक्त परिवर्तन सुझाना।

(3) इस बात का पता लगाना कि क्या प्रशासन के मौजूदा तरीके, अनुशासनिक नियंत्रण और उत्तरदायित्व में कोई परिवर्तन जरूरी है।

(4) जांच और अभियोजन संबंधी प्रणाली, उसमें विलम्ब के कारणों, तथा असफलता की जांच करना, अनुचित तरीकों के उपयोग और किस सीमा तक वे इस्तेमाल किए जा रहे हैं इसकी जांच करना, और यह सुझाव देना कि इस प्रणाली को किस प्रकार संशोधित अथवा परिवर्तित किया जा सकता है, और इसे किस प्रकार कुशल, वैज्ञानिक और मानवोचित मर्यादा के अनुकूल बनाया जा सकता है, और इससे संबंधित कानूनों को किस प्रकार उपयुक्त रूप से संशोधित किया जा सकता है।

(5) अपराध संबंधी रिकार्ड और आंकड़े रखने के तरीके की जांच करना और उन्हें समरूप तथा प्रणालीबद्ध करने के तरीके सुझाना।

(6) ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस प्रणाली की समीक्षा करना, की गई नयी व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करना, और ऐसे परिवर्तनों की सिफारिश करना, जो आवश्यक हो।

(7) महानगरीय क्षेत्रों के समेत गैर-देहाती तथा शहरी क्षेत्रों में अपेक्षित पुलिस प्रणाली की जांच करना और ऐसे पैटर्न का सुझाव देना जो सर्वाधिक रूप से उपयुक्त हो।

(8) कानून के प्रवर्तन के आधुनिकीकरण के लिए की गई कार्यवाही की जांच करना, पुलिस संचार, कम्प्यूटर-तंत्र, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं और अनुसंधान तथा विकास संबंधी एजेंसियों कार्य का मूल्यांकन करना, और इस बात की जांच करना कि क्या आधुनिकीकरण की गति तेज की सकती है। यह जांच करना कि पुलिस बल के आधुनिकीकरण, उसके कार्यों को सरल बनाने तथा उसकी पुनःसंरचना रकरने के परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में उसकी गतिविधियों में पुलिस संख्या में किस सीमा तक बचत करना संभव है।

(9) समाज के कमजोर वर्गों के प्रति पुलिस के विशेष उत्तरदायित्वों के स्वरूप और उसकी सीमा की जांच करना, तथा उनके अधिकारों और हितों की रक्षा के लिये उनकी शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिये उपाय सुझाना।

(10) निम्नलिखित के लिये उपायों और संस्थागत प्रबंधों की सिफारिश करना :—

(1) पुलिस द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकना, और इस बात की जांच करना कि क्या पुलिस द्वारा अपने व्यवहार, दृष्टिकोण, उत्तरदायित्व और निष्पक्षता की सही स्तर तक बनाए रखा जा सकता है, और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो उन्हें सुधारने के लिये भर्ती और प्रशिक्षण जैसे उपाय किये जाने चाहिए ;

(2) प्रशासनिक या कार्यकारी आदेशों, राजनीतिक और अन्य दबाव या किसी भी तरह के मौखिक आदेशों के अलावा पुलिस का दुरुपयोग किए जाने से रोकना जो कि कानून के विरुद्ध है ;

(3) पुलिस की शक्तियों के किसी प्रकार के दुरुपयोग के बारे में पुलिस के खिलाफ की गई सार्वजनिक शिकायतों की शीघ्र और निष्पक्ष जांच करना;

(4) पुलिस कर्मचारियों की शिकायतों को जल्द दूर करना और उनके मनोबल और कल्याण कार्यों की देख-रेख करना; और

(5) महानगरीय क्षेत्र/जिला/राज्य में पुलिस के कार्य-निष्पादन का इस ढंग से समय-समय पर उद्देश्य मूलक मूल्यांकन करना कि जनता में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा हो।

(11) इस बात की जांच करना कि पुलिस समाज की रक्षा और कानून को लागू करने से संबंधित अपने कर्तव्यों के पालन में किस ढंग से और किस सीमा तक जनता का तत्पर और स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त कर सकती है और इस प्रकार का सहयोग प्राप्त करने के लिये संस्थागत व्यवस्थाओं के बारे में उपाय सुझाना तथा स्वस्थ्य तथा मैत्रीपूर्ण पुलिस-जनता संबंधों के विकास के लिये उपाय सुझाना।

(12) पुलिस-प्रशिक्षण, विकास और अधिकारियों की कैरियर-प्लानिंग के तरीकों की जांच करना और उनके सेवाकाल में किसी भी समय उनके दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने और बल के नेतृत्व को कुशल बनाने तथा उसका मनोबल सुदृढ़ करने के लिये अपेक्षित परिवर्तनों की सिफारिश करना।

(13) भविष्य में पुलिस को जिन समस्याओं का सामना करना होगा उनके स्वरूप की जांच करना और उनसे निपटने के लिए आवश्यक उपाय सुझाना तथा इन उपायों का लगातार अध्ययन और मूल्यांकन करना।

(14) ऐसे किसी अन्य मामले के बारे में विचार करना, सिफारिशें करना और सुझाव देना जो सरकार द्वारा आयोग को भेजा जाए, और

(15) इस विषय को प्रभावित करने वाला कोई अन्य संगत अथवा महत्वपूर्ण मामला।

3. आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा।

4 आयोग अपनी कार्यविधि स्वयं बनाएगा और किसी प्रयोजन विशेष के लिये यदि आवश्यक समझे तो किसी भी सलाहकार से परामर्श कर सकता है। वह ऐसी सूचना मंगा सकता है और ऐसा साक्ष्य दे सकता है जिसे वह आवश्यक समझे। भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग ऐसी सूचना, ऐसे दस्तावेज और अन्य सहायता आयोग को देंगे जो आयोग को अपेक्षित हो। भारत सरकार का विश्वास कि राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, सक्षम एसोसियेशन्स और संबंधित अन्य सभी आयोग को अपना पूरा सहयोग तथा सहायता प्रदान करेंगे।

5 आयोग यथाशीघ्र अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति समस्त राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, योजना आयोग, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, लोक और राज्य सभा सचिवालयों को भेज दी जाये।

2 यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

टी० सी० ए० श्रीनिवासवरदन, सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 नवम्बर, 1977

स० जैड० 28015/26/इन्क्वा०/77/-स्थापना-II—25 जून, 1975 को घोषित की गई आपात स्थिति के दौरान दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में परिवार नियोजन कार्यक्रम की क्रियान्विति से सम्बन्धित जिस तथ्य अन्वेषक समिति को भारत सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 15 जुलाई, 1977 की अधिसूचना स० जैड० 28015/26/इन्क्वा०/77-स्थापना-II द्वारा नियुक्त किया था, उसके कार्यक्रम को सरकार ने 15 दिसम्बर, 1977 तक बढ़ा दिया है।

आर० नटराजन, संयुक्त सचिव

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 नवम्बर, 1977

संकल्प

स० Dy. 1911/डी० आई० आर० (ई०)/77/Pt. II—शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री द्वारा लोक सभा में 28 जून, 1977 को दिये गये आश्वासन के अनुसरण में, भारत सरकार ने

(i) गाड़े गये दो कालपात्रों, अर्थात स्वतंत्रता रजत जयन्ती कालपात्र और नेहरू काल पात्र की वास्तविक पुन प्राप्ति का पर्यवेक्षण करने,

(ii) उक्त काल पात्र खोलने को प्रत्यक्ष रूप से देखने, और

(iii) उक्त काल पात्रों की विषय वस्तु की सूची ऐतिहासिक लेख के वास्तविक मूल-पाठ सहित तैयार करने और प्रमाणित करने के लिए

समद सदस्यों की एक समिति गठित करने का निर्णय किया है।

2 (1) समिति में होंगे :—

(क) राज्य सभा अध्यक्ष द्वारा नामित किए गए राज्य सभा के दो सदस्य।

(ख) लोक सभा अध्यक्ष द्वारा नामित किए गए लोक सभा के चार सदस्य।

(2) लोक सभा अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से ही समिति का अध्यक्ष नामित किया जाएगा।

3 समिति का कार्यकाल छः महीने होगा। यदि उक्त अवधि के दौरान विषय वस्तु का प्रमाणन कार्य पूरा नहीं हो पाता, तो सरकार उक्त अवधि को बढ़ा सकती है।

4 जब कभी भी अध्यक्ष आवश्यक समझे, समिति की बैठक बुलाई जाएगी। यह अपने कार्य की प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगी।

5 समिति को सचिवालयीय सहायता शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय, शिक्षा विभाग द्वारा दी जाएगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि भारत के राजपत्र में सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस सकल्प की एक प्रतिलिपि सभी सम्बन्धितो को भेजी जाए ।

सोमनाथ पडित, सयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनाक 5 नवम्बर 1977

सकल्प

स० एफ० 25-4/77-स्कूल-3—शिक्षा मत्रालय के सकल्प सख्या एफ० 1-9/61-टी० आर० यू० दिनाक 5 सितम्बर, 1961, जिसके अन्तर्गत तिब्बती शरणार्थियो के बच्चो के स्कूलो के सचालन हेतु एक सोसायटी स्थापित की गई थी और जिसे समय समय पर सशोधित किया गया है मे आशिक सशोधन करते हुए भारत सरकार एतद्द्वारा सकल्प करती है कि उक्त सकल्प के पैरा 4 में उल्लिखित सोसायटी तथा इसके शासी निकाय का गठन अब इस प्रकार होगा —

1 शिक्षा मत्रालय मे स्कूल शिक्षा ब्यूरो के प्रभारी सयुक्त सचिव	अध्यक्ष
2. विदेश मत्रालय के एक प्रतिनिधि	सदस्य
3 शिक्षा मत्रालय के वित्त सलाहकार अथवा उनका प्रतिनिधि	सदस्य
4 पुनर्वास तथा पूर्ति मत्रालय, पुनर्वास विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य
5. महा सचिव, केंद्रीय सहायता समिति	सदस्य
6 परम पावन श्री दलाई लामा के चार प्रतिनिधि	सदस्य
7 सचिव, केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन	सदस्य-सचिव

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस सकल्प की एक एक प्रति सभी सम्बन्धित व्यक्तियो को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह सकल्प सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र मे प्रकाशित किया जाए ।

(श्रीमती) जे० अजमी वयानन्द, सयुक्त सचिव,

सूचना और प्रसारण मत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 नम्बर 1977

सकल्प

स० 202/28/76-एफ० (पी०)—फिल्म प्रभाग की वृत्तचित्र क्रय समिति को पुनर्गठित करने का प्रश्न कुछ समय से सरकार के विचाराधीन रहा है । यह समिति उन फिल्मो की उपयुक्तता के बारे मे फिल्म प्रभाग को सलाह देती है जिनके बारे मे गैर-सरकारी निर्माताओ द्वारा फिल्म प्रभाग को खरीदने या भेट स्वरूप देने का प्रस्ताव किया जाता है। इस मत्रालय के सकल्प सख्या 43-12/71-एफ० पी०, दिनाक 16 मार्च, 1972 का अधिक्रमण करते हुए, अब यह निर्णय लिया गया है कि इस समिति का 1-11-1977 से पुनर्गठन किया जाए । समिति के निम्नलिखित सरकारी और गैर-सरकारी सदस्य होगे :—

सरकारी

1 अध्यक्ष, फिल्म सलाहकार बोर्ड, (अर्थात अध्यक्ष, केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड, बम्बई)	अध्यक्ष
2 मुख्य प्रोड्यूसर, फिल्म प्रभाग, बम्बई	सदस्य
3 आन्तरिक वित्त सलाहकार, फिल्म प्रभाग, बम्बई	सदस्य सचिव

गैर-सरकारी

1 श्री इच्छा मीर	सदस्य
2 श्री पी० आर० एस० पिल्लै	सदस्य
3 श्री फिरोज रगूनवल्ला	सदस्य
4. श्री हरि एस० दासगुप्ता	सदस्य

2. समिति का मुख्यालय बम्बई मे होगा ।

3 समिति, गैर-सरकारी निर्माताओ तथा अन्य एजेंसियो से वृत्तचित्र खरीदने के बारे मे तथा गैर-सरकारी निर्माताओ द्वारा वृत्तचित्रो को फिल्म प्रभाग को भेट स्वरूप देने के बारे मे समय समय पर फिल्म प्रभाग को प्राप्त होने वाले सभी प्रस्तावो की जाच करेगी और फिल्म के गुणवत्ता, सामान्य प्रचार हेतु, उसकी उपयुक्तता तथा इसी प्रकार के अन्य सम्बन्धित मानदण्डो के आधार पर यह सलाह देगी कि प्रश्नास्पद फिल्मे फिल्म प्रभाग द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए या नही । समिति वृत्तचित्रो की खरीद से सम्बन्धित सामान्य प्रकृति के मामलो पर भी विचार कर सकती है और फिल्म प्रभाग को अपनी राय दे सकती है । समिति की सिफारिशे बहुमत के अनुसार होगी, परन्तु कम से कम एक सरकारी सदस्य भी बहुमत का होना चाहिए समिति की सिफारिशें फिल्म प्रभाग द्वारा स्वीकार कर ली जाएगी । समिति की बैठकें आवश्यकतानुसार होगी । समिति को सचिवालय संबधी सहायता फिल्म प्रभाग द्वारा प्रदान की जायेगी ।

4 (क) समिति के सरकारी सदस्य अपने पद की बिना पर समिति के सदस्य बने रहेगे । गैर-सरकारी सदस्यो का कार्यकाल सामान्यतया 2 वर्ष होगा, किन्तु वे उतनी अवधि के लिए फिर से नियुक्ति के पात्र होगे जो केंद्रीय सरकार निश्चित करे, किन्तु यह अवधि 2 वर्ष से अधिक नही होगी । गैर-सरकारी सदस्य अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक कि उनके कार्यकाल के दौरान या उसके समाप्त होने के बाद बदला नही जाता ।

(ख) गैर-सरकारी सदस्य/सदस्यो की किसी भी कारण से अनुपस्थिति मे समिति के सरकारी सदस्यो द्वारा मामलो पर विचार कर सिफारिशे की जायेगी । गैर-सरकारी सदस्य अवैतनिक रूप से काम करेगे, किंतु वे नियमानुसार यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्तो के पात्र होगे । गैर-सरकारी सदस्यो को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता पूरक नियम 190 के उपबन्धो और उनके अधीन भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशो के अनुसार दिया जायेगा । समिति के सरकारी सदस्य अपना यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता उन पर लागू नियमो के अनुसार उस स्रोत से प्राप्त करेगे जिससे उनको वेतन मिलता है ।

5. कोई भी व्यक्ति जिसका उनके द्वारा प्रस्तावित वृत्तचित्र न खरीदने या उसके द्वारा प्रस्तावित फिल्म को भेट स्वरूप न लेने के निर्णय से फिल्म प्रभाग के मुख्य प्रोड्यूसर द्वारा सूचित किया जाता है, इस प्रकार के निर्णय की सूचना देने वाले पत्र की तारीख से 30 दिन की भीतर सूचना और प्रसारण मत्रालय को अपील कर सकता है । इस प्रकार के मामलो मे सूचना और प्रसारण मत्रालय का निर्णय अन्तिम होगा ।

6 प्रत्येक वृत्तचित्र का क्रय मूल्य निर्धारित करने के लिए समिति की एक स्थायी उप समिति भी होगी । इस उप समिति के निम्नलिखित सदस्य होगे :—

1 मुख्य प्रोड्यूसर, फिल्म प्रभाग
2 उप सचिव (वित्त), सूचना और प्रसारण मत्रालय
3. आंतरिक वित्त सलाहकार, फिल्म प्रभाग

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस सकल्प की एक एक प्रति सभी राज्य सरकारो एवं सघ शासित क्षेत्रो के प्रशासको, प्रधान मत्री सचिवालय,

मन्त्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय तथा भारत सरकार के सभी मन्त्रालयों और विभागों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण के सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ए० वी० नारायणन, उप सचिव

श्रम मन्त्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 नवम्बर, 1977

स० वी०-18025/5/77-फैक०—राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नियमों एवं विनियमों के नियम 7 के खण्ड (ख) के अनुसरण में तथा भारत सरकार के श्रम मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या वी०-18025/14/75-फैक०, दिनांक 23 अक्टूबर, 1975 का अतिक्रमण करते हुए केंद्रीय सरकार श्री हरीश महिन्द्रू को तत्काल प्रभाव से लेफ्टिनेंट जनरल के० एस० ग्रेवाल के स्थान पर राष्ट्रीय सुरक्षा के स्थायी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित करती है।

मीना गुप्ता, अवर सचिव

पूर्ति विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्टूबर, 1977

संकल्प

स० क्रय-3-26(2)75—वर्तमान केंद्रीय क्रय सलाहकार परिषद का गठन, भारत सरकार के पूर्ति विभाग के दिनांक 13 नवम्बर, 1972 के संकल्प संख्या क्रय-3-26(1)/71 द्वारा हुआ था। अब इस परिषद का पुनर्गठन करने का निर्णय किया है। परिषद का नया गठन निम्न प्रकार से होगा —

अध्यक्ष

1 मंत्री (निर्माण, आवास, पूर्ति और पुनर्वास)।

सदस्य

2 दो संसद सदस्य—सरकार द्वारा नामित।

3 इंडियन चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज फैडरेशन के तीन प्रतिनिधि।

4 ऐसोसिएटिड चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज आफ इंडिया के दो प्रतिनिधि।

5. फेडरेशन आफ एसोसिएशन आफ स्माल इंडस्ट्रीज आफ इंडिया नई दिल्ली के तीन प्रतिनिधि।

6. निम्नलिखित ऐसोसिएशनों में से प्रत्येक का एक-एक प्रतिनिधि—

(क) इंजीनियरिंग एसोसिएशन आफ इंडिया, कलकत्ता।

(ख) इंडियन इंजीनियरिंग एसोसियेशन, कलकत्ता।

(ग) आल इंडिया मैन्यूफैक्चरर्स आर्गेनाइजेशन, बम्बई।

(घ) इंडियन केमीकल मैन्युफैक्चरर्स, कलकत्ता।

(ङ) किसी अन्य एसोसिएशन का प्रतिनिधि सरकार द्वारा नामित किया जा सकता है।

7 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का एक प्रतिनिधि।

8 खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन का एक प्रतिनिधि।

9. चार राज्य सरकारों के प्रतिनिधि।

10. तीन गैर-सरकारी व्यक्ति—सरकार द्वारा नामित।

11. रेल मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा पूर्ति विभाग, वित्त मन्त्रालय और डाकतार बोर्ड में से प्रत्येक एक-एक प्रतिनिधि।

12. लेखन-सामग्री नियंत्रक, निर्माण आवास, पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय।

13 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के दो प्रतिनिधि—सरकार द्वारा नामित।

14. सचिव, पूर्ति विभाग।

सदस्य सचिव

15 महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान, नई दिल्ली।

2. साधारणतया तीन गैर-सरकारी सदस्यों को, उनके नामित किये जाने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। इसी प्रकार से सरकार द्वारा नामित किये जाने वाले दो संसद सदस्य अपनी चालू अवधि के लिए परिषद में संसद सदस्य के रूप में प्रतिनिधि रहेंगे।

3 यह परिषद सरकार को केन्द्रीय क्रय संगठन से संबंधित सामान्य नीति और कार्यविधि के साथ-साथ सरकारी खरीद के माध्यम से उद्योगों के विकास के बारे में भी सलाह देगी। यह परिषद सरकार को अनिवार्य आवश्यकताओं की अभिप्राप्ति का आयोजन करने में भी सलाह देगी ताकि स्वदेशी साधनों का यथासम्भव अधिकाधिक उपभोग हो सके और उद्योग से घनिष्ठ एवं निरन्तर सम्पर्क बनाये जा सकें।

4. सामान्यतः परिषद की बैठक साल में एक बार और आवश्यकता पड़ने पर दो बार होगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति केंद्रीय सलाहकार परिषद के सभी सदस्यों को, भारत सरकार के सभी मन्त्रालयों और विभागों आदि को भेज दी जाये। यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य जानकारी के लिए भारतीय राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

जे० एम० लिंगडोह, निदेशक

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 16th November 1977

CORRIGENDUM

No. 83-Pres./77.—In this Secretariat Notification No 25-Pres /77, dated the 18th March, 1977, published in Part I—Section 1 of the Gazette of India dated the 26th March 1977, on page 282 the name of "Daroga Singh Rawat" wherever occurring in the Notification may be *read* as "Darwan Singh Rawat".

K. C. MADAPPA
Secretary to the President

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 15th November 1977

RESOLUTION

No VI-24021/36/77-GPA I.—Far-reaching changes have taken place in the country after the enactment of the Indian Police Act, 1861, and the setting up of the Second Police Commission of 1902, particularly during the last thirty years of Independence Though a number of States have appointed Police Commissions after Independence to study the problems of the Police in their respective States, there has been no comprehensive review at the national level of the police system after Independence despite radical changes in the political, social and economic situation in the country. A fresh examination is necessary of the role and performance of the Police—both as a law enforcement agency, and as an institution to protect the rights of the citizens enshrined in the Constitution. The Government of India have, therefore, decided to appoint a National Police Commission composed of the following :—

1	Shri Dharamvira (retired Governor)	Chairman
2	Shri N K. Reddy (retired Judge, Madras High Court)	Member
3	Shri K F Rustamji (ex-IGP, Madhya Pradesh and ex-Special Secretary, Home Ministry).	Member

4 Shri N S. Saksena (ex-IGP UP and ex-DG CRP and at present, Member, UPSC) — Member

5 Prof M S. Gore, Professor, Tata Institute of Social Sciences, Bombay. — Member

6 Shri C V. Narasimhan, presently Director, CBI — full-time Member-Secretary of the Commission (on relief from his present post).

The following will be the terms of reference of the Commission :—

(1) Re define the role, duties, powers and responsibilities of the police with special reference to prevention and control of crime and maintenance of public order.

(2) Examine the development of the principles underlying the present policing system, including the method of magisterial supervision, evaluate the performance of the system, identify the basic weaknesses of inadequacies, and suggest appropriate changes in the system and the basic laws governing the system.

(3) Examine, if any changes are necessary in the existing method of administration, disciplinary control and accountability

(4) Inquire into the system of investigation and prosecution, the reasons for delay and failure; the use of improper methods, and the extent of their prevalence, and suggest how the system may be modified or changed, and made efficient, scientific and consistent with human dignity; and how the related laws may be suitably amended.

(5) Examine methods of maintaining crime records and statistics and suggest methods for making them uniform and systematic

(6) Review policing in rural areas, evaluate any new arrangements that have been made, and recommend changes that are necessary.

(7) Examine the system of policing required in non-rural and urbanised areas including metropolitan areas, and suggest the pattern that would be the most suitable

(8) Examine the steps taken for modernising law enforcement, evaluate the work of police communications, the computer net-work, scientific laboratories and agencies for research and development, and examine whether modernisation can be speeded up, examine to what extent, as a result of the modernisation of Police forces, streamlining of its functions and its restructuring, it would be possible to economise in the manpower in the various areas of its activities.

(9) Examine the nature and extent of the special responsibilities of the Police towards the weaker sections of the community and suggest steps to ensure prompt action on their complaints for the safeguard of their rights and interests

(10) Recommend measures and institutional arrangements :—

(i) to prevent misuse of powers by the police, and to examine whether police behaviour, outlook, responsiveness and impartiality are maintained at the correct level, and if not the steps such as recruitment and training which should be taken to improve them;

(ii) to prevent misue of the Police by administrative or executive instructions, political or other pressure, or oral orders of any type, which are contrary to law;

(iii) for the quick and impartial inquiry of public complaints made against the police about any misuse of police powers;

(iv) for the quick redressal of grievances of police personnel and to look after their morale and welfare; and

(v) for a periodic objective evaluation of police performance in a metropolitan area/District/State in a manner which will carry credibility before the public.

(11) Examine the manner and extent to which police can enlist ready and willing cooperation of the public in the discharge of their social defence and law enforcement duties and suggest measures regarding the institutional arrangements to secure such co-operation and measures for the growth of healthy and friendly public-police relationship

(12) Examine the methods of police training, development, and career-planning of officers and recommend any changes that are required at any time in their service, to modernise the outlook, and to make the leadership of the force effective and morally strong

(13) Examine the nature of the problems that the police will have to face in the future, and suggest the measures necessary for dealing with them, and for keeping them under continuous study and appraisal.

(14) Consider and make recommendations and suggestions regarding any other matter which the Government may refer to the Commission, and

(15) Any other matter of relevance or importance having an impact on the subject

3 The Headquarters of the Commission will be at Delhi

4 The Commission will devise its own procedure and may consult such advisers as it may consider necessary for any particular purpose It may call for such information and take such evidence as it may consider necessary Ministries and Departments of the Government of India will furnish such information and documents and other assistance as may be required by the Commission The Government of India trust that the State Governments, Union Territories Administrations, Service Associations and other concerned will extend to the Commission their fullest co-operation and assistance.

5 The Commission will make its recommendations as soon as practicable

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories and Ministries/Departments of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats

2 ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

T. C A SRINIVASAVARADAN,
Secretary

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 5th November 1977

No Z. 28015/26/Inq/77-Estt II—The term of the Fact Finding Committee in respect of the implementation of Family Planning Programme in the Union Territory of Delhi during Emergency following its proclamation on the 25th June, 1975, appointed by the Government of India vide Ministry of Health and Family Welfare Notification No Z. 28015/26/Inq./77-Estt. II dated the 15th July, 1977, has been extended by the Government till the 15th December, 1977

R. NATARAJAN
Jt. Secy

DEPARTMENT OF HEALTH

New Delhi, the 2nd September 1977

CORRIGENDUM

Subject :—National Codex (Food Products Standards) Committee

No. P 16016/12/77-PH(F&N) —In para 1 of the Ministry of Health and Family Planning and Works Housing & Urban Development Resolution No. F. 14-36/67-PH dated 31st March, 1970, as amended vide this Ministry's corrigendum No G 14-19/71-PH dated 2nd September 1972, on the subject mentioned above, for the entry against Serial No. 13 & 15 the following entries may be substituted :—

"13 A representative of Consumer Guidance Society of India, Bombay.

15 Assistant Director General (Prevention of Food Adulteration) Directorate General of Health Services .. Member Secretary/Liasion Officer.

ORDER

ORDERED that a copy of this corrigendum be communicated to the Secretary to the President, the Prime Minister's Secretariat, the Cabinet Secretariat, the Planning Commission, All Ministries of Government of India, All State Governments and Government of Union Territories, Official Members of this Committee.

ORDERED that the corrigendum be published in the Gazette of India for general information.

ORDERED that a copy of this corrigendum be communicated to the Directorate General of Health Services, New Delhi.

G. PANCHAPAKESAN
Under Secy.

MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE

DEPARTMENT OF EDUCATION

New Delhi, the 3rd November 1977

RESOLUTION

No. Dy 1911/DIR(E)/77-Pt. II—In pursuance of the assurance given by the Minister of Education, Social Welfare and Culture in the Lok Sabha on the 28th June 1977, the Government of India have decided to constitute a Committee of Members of Parliament :—

(i) to supervise the actual retrieval of the two embedded capsules, namely, the Independence Silver Jubilee Time Capsule and the Nehru Capsule,

(ii) to witness the opening of the said Capsules, and

(iii) to prepare an inventory and certify the contents of the said Capsules, including the actual text of the historical account.

2. (1) The Committee shall consist of :—

(a) two Members of the Rajya Sabha to be nominated by the Chairman of the Sabha, and

(b) four Members of the Lok Sabha to be nominated by the Speaker of the Sabha.

(2) The Chairman of the Committee shall be nominated by the Speaker of the Lok Sabha from amongst the Members of the Committee

3. The tenure of the Committee shall be six months. If the certification of the contents is not completed within this period, Government may extend the said period.

4. The Committee shall meet as and when considered necessary by the Chairman. It will evolve its own procedure of work.

5. The Committee will be provided with secretariat assistance by the Ministry of Education & Social Welfare, Department of Education

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be published in the *Gazette of India for general information.*

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

S. N. PANDITA
Jt Secy

New Delhi, the 5th November 1977

RESOLUTION

No. F. 25-4/77-School. 3.—In partial modification of Ministry of Education Resolution No F. 1-9/61-TRU dated 5th September, 1961, as amended from time to time establishing the Society to administer the schools for the children of the Tibetan Refugees, the Government of India hereby resolve that the composition of the Society as given in para 4 thereof and its Governing Body shall hereafter be as follows :—

Chairman

1. J. S. in charge of Bureau of school Education of Ministry of Education

Members

2 A representative of the Ministry of External Affairs.

3 Financial Adviser, to the Ministry of Education or his representative.

4 A representative of the Ministry of Rehabilitation & Supplies, Department of Rehabilitation

5. General Secretary, Central Relief Committee.

6. Four representatives of His Holiness The Dalai Lama. Member Secretary

7 Secretary, Central Tibetan Schools Administration.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution may be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

MRS J ANJANI DAYANAND
Jt Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 2nd November 1977

RESOLUTION

No. 202/28/76-F(P)—The question of reconstituting the Documentary Film Purchase Committee of the Films Division has been under consideration of the Government for some time past This Committee advises the Films Division on the suitability of films offered for purchase or donation by private producers to the Films Division It has now been decided in supersession of this Ministry's Resolution No. 43/12/71-F-(P) dated 16th March 1972 to reconstitute the Committee with effect from 1st November, 1977. The Committee will consist of the following official and non-official members :—

Officials

Chairman

1. Chairman, Film Advisory Board, (i.e. Chairman, Central Board of Film Censors, Bombay).

Member

2 Chief Producer, Films Division, Bombay Member Secretary

3 Internal Financial Adviser, Films Division, Bombay.

Non-officials

Members

1. Shri Ezra Mir

2. Shri P R S Pillay

3. Shri Firoze Rangoonwalla

4. Shri Hari S Dasgupta

2 The headquarters of the Committee will be at Bombay.

3 The Committee will examine all proposals received from time to time by the Films Division for purchase of documentary films from independent producers and other agencies or donation of the documentary films by independent producers to the Films Division and on the basis of quality, suitability for general publicity release and such other relevant criteria, advise whether the films in question should be acquired by the Films Division or not The Committee may also consider matters of general nature concerning purchase of documentary films and tender its advice to the Films Division. The recommendations of the Committee shall be in accordance with the view of the majority subject to the condition that at least one of the official members is also of the majority view The recommendations of the Committee would be accepted by the Films Division. The Committee will meet as and when necessary Secretariat assistance for the Committee will be provided by the Films Division.

4 (a) The official members of the Committee will continue to be the members of the Committee by virtue of the office held by them. The non-official members will normally hold office for a term of two years but will be eligible for re-appointment for such periods as the Central Government may decide subject to the limit of one more term. The non-official

members will continue to hold office until replaced which may be either during or after expiry of the term.

(b) In the absence of non-official member/s for any reason, the cases will be considered and recommendations made by the official members of the Committee. The non-official members will function in an honorary capacity but will be eligible to travelling-allowance and other allowances as admissible under the Rules. The grant of TA and DA to the non-official members will be regulated in accordance with the provisions of S R 190 and orders issued thereunder by the Government of India from time to time. The official members of the Committee will draw their TA and DA as admissible to them under the rules applicable to them from the source from which their pay is drawn.

5. Any person to whom the decision for not purchasing the documentary film offered by him, or for not accepting the donation of film offered by him, on the recommendation of the Documentary Film Purchase Committee is communicated by the Chief Producer, Films Division, may appeal to the Ministry of Information & Broadcasting within 30 days from the date of communication of such a decision. The decision of the Ministry of Information and Broadcasting in such cases shall be final.

6. The Committee shall also have a standing sub-Committee to determine the purchase price for every documentary film. The members of the Sub-Committee will be as under :—

1 Chief Producer, Films Division.

2 Deputy Secretary (Finance), Ministry of Information and Broadcasting.

3. Internal Financial Adviser, Films Division.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Administrations, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat and all Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. V. NARAYANAN
Dy Secy.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 5th November 1977

No. V-18025/5/77-FAC.—In pursuance of clause (b) of Rule 7 of the Rules and Regulations of the National Safety Council and in supersession of notification of Government of India in the Ministry of Labour No. V-18025/14/75-Fac dated the 23rd October, 1975, the Central Government hereby nominates Shri Harish Mohindra as Chairman of the Board of Governors' of the National Safety Council with immediate effect *vice* Lt. Gen. K. S. Gaiewal.

Km. MEENA GUPTA
Under Secretary

DEPARTMENT OF SUPPLY

New Delhi, the 31st October 1977

RESOLUTION

No. PIII-26(2)/75.—The present Central Purchase Advisory Council was constituted *vide* Govt. of India, Department of Supply Resolution No. PIII-26(1)/71 dated 13th November, 1972. It has since been decided to re-constitute the Council and the new composition of the Council will be as follows :—

Chairman

(i) Minister (Works, Housing, Supply & Rehabilitation).

Members

(ii) Two members of Parliament nominated by Government.

(iii) Three representatives of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry.

(iv) Two representatives of the Associated Chambers of Commerce and Industry of India.

(v) Three representatives of the Federation of Associations of Small Industries of India, New Delhi.

(vi) One representative each from the following Associations :—

(a) Engineering Association of India, Calcutta.

(b) Indian Engineering Association, Calcutta.

(c) All India Manufacturers' Organisation, Bombay.

(d) Indian Chemical Manufacturers' Association, Calcutta.

(e) Any other Associations whose representatives may be nominated by the Govt.

(vii) One representative from the National Small Industries Corporation.

(viii) One representative from the Khadi and Village Industries Commission.

(ix) Representatives of four State Governments.

(x) Three non-officials nominated by Government.

(xi) A representative each from the Minstry of Railways, Ministry of Defence, Department of Defence Production, Department of Defence Supplies, Ministry of Finance and the P&T Board.

(xii) Controller of Stationery, Ministry of Works and Housing, Supply & Rehabilitation.

(xiii) Two representatives of Public Sector Undertakings nominated by Government.

(xiv) Secretary, Department of Supply.

Member-Secretary

(xv) Director-General, Supplies & Disposals, New Delhi.

2. The three non-official members will ordinarily be represented on the Council for a period of two years from the date of their nomination. The two Members of Parliament to be nominated by the Government will similarly be represented on the Council for the duration of their current terms as Member of Parliament.

3. The Council advises the Government on general policy and procedural matters relating to the Central Purchase Organisation, as well as on development of industries through Government purchases. The Council will also advice the Government in planning procurement of essential requirements, achieving maximum possible utilisation of domestic resources and maintaining close and continuous touch with the Industry.

4. The Council will generally meet once a year and twice whenever necessary.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution may be communicated to all the Members of the Central Purchase Advisory Council, all Ministries and Departments of the Government of India etc.

ORDERED also that the Resolution may be published in the Gazette of India for general information.

J. M. LYNGDOH
Director

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977